Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2013
(BHADRA 15, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 6th September, 2013

No. 17—HLA of 2013/60.—The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2013, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 17—HLA of 2013

THE HARYANA PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2013

A

BILL

further to amend the Haryana Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Act, 2013. Short title.

2. After sub-section (3) of section 7 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994, the following sub-section shall be inserted, namely:— Amendment of section 7 of Haryana Act 11 of 1994.

"(3A) Where any area is excluded from or included in any sabha area under sub-section (3), the assets and liabilities attached with such sabha area shall be apportioned by the prescribed authority in such manner, as may be specified.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 7 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994, provides that the Government may, by notification, include or exclude any area from the sabha area. Section 215A of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 and Rule 26 of the Haryana Panchayati Raj Rules, 1995 provides that the dispute between two or more Gram Panchayats shall be decided by the Deputy Commissioner. Any of the provisions either of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 or of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961 does not provide the manner and procedure of apportionment of assets and liabilities between the bifurcating Gram Panchatats. Non existence of any provision in this regard has led to a bunch of litigations in the Hon'ble High Court. Consequently the Hon'ble High Court has also observed that the State Government should immediately make a provision to reduce the litigation.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 6th September, 2013.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2013 का विधेयक संख्या 17 – एच० एल० ए०

हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2013

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2013, कहा जा सकता है।

1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 7 का संशोधन।

2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 7 की उप–धारा (3) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

"(3क) जहां कोई क्षेत्र उप-धारा (3) के अधीन किसी सभा क्षेत्र से निकाला जाता है या में सम्मिलित किया जाता है, तो ऐसे सभा क्षेत्र से संलग्न परिसम्पत्तियां तथा देनदारियां विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में जो विनिर्दिष्ट की जाए, प्रभाजित की जाएंगी।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम,1994 की धारा 7 में की गई व्यवस्था अनुसार सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी सभा क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र को शामिल और निकाल सकती है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 215A और हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 के नियम 26 की व्यवस्था अनुसार दो या दो से अधिक पंचायतों के बीच झगड़े के निपटान हेतु उपायुक्त (निर्धारित प्राधिकारी) है । हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 व पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियम) अधिनियम, 1961 में ऐसा कोई प्रावधान व व्यवस्था नही है जिस में दो पंचायतों के विभाजन में उनकी परिसम्पत्तियां और देनदारियों की व्यवस्था हो । कोई भी प्रावधान इस बारे में न होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में बहुत से केस इस बारे मे डाले गए हैं । इस कारण से माननीय अदालत ने चाहा है कि राज्य सरकार तत्काल व्यवस्था करें ताकि झगड़े कम हों ।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 6 सितम्बर, 2013.

सुमित कुमार,
सचिव।

51477—H V.S. -H G.P. Chd.